

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2810 / 2022

दिनांक : 17.09.2022

डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर को दिनांक 23.06.2022 से 20.07.2022 तक 28 दिनों का उपार्जित अवकाश (ग्रीष्मावकाश की निरन्तरता में) स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. अटवासिया की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/63/2000/6368

दिनांक : 17.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर को उनके पत्रांक 30 दिनांक 16.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया (RJ0357), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सीकर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।


सहायक रजिस्ट्रार